कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, 4 सुभाष रोड़ सचिवालय परिसर, देहरादून–248001

email id election09@gmail.com फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551 फैक्स न0 (0135) –2713724

संख्याः 1310 /XXV-25/2025 देहरादून दिनांक 06 अगस्त, 2026

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 05 अगस्त, 2026 को अपरान्ह 12:30 बजे मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में आहूत बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1. श्री राज कुमार पुरोहित, प्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी।
2. श्री सूर्यकान्त धस्माना, प्रतिनिधि, इण्डियन नेशनल कांग्रेस।
3. श्री अमेन्द्र बिष्ट, प्रतिनिधि, इण्डियन नेशनल कांग्रेस।
4. श्री अनुज दत्त शर्मा, प्रतिनिधि, इण्डियन नेशनल कांग्रेस।
5. श्री सत्येन्द्र, प्रतिनिधि, बहुजन समाज पार्टी।
6. श्री सतेन्द्र चोपड़ा प्रतिनिधि,बहुजन समाज पार्टी।
7. श्री सत्यपाल, प्रतिनिधि,बहुजन समाज पार्टी।
8. श्री अनन्त आकाश, प्रतिनिधि, कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी)।
9. श्री मस्तू दास, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जनपदवार नोटिसों की स्थिति, नोटिस वितरण, लंबित नोटिस, आयोजित सुनवाई, लंबित सुनवाई तथा सत्यापन की स्थिति का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया।

बैठक में अवगत कराया गया कि राज्य में लगभग 24 लाख नोटिसों के सापेक्ष लगभग 19 लाख (लगभग 78 प्रतिशत) नोटिस बीएलओ के माध्यम से मतदाताओं को वितरित किये जा चुके हैं तथा शेष नोटिसों का वितरण प्राथमिकता के आधार पर कराया जा रहा है।

बैठक में जनपदवार प्राप्त दावे एवं आपत्तियों की समीक्षा करते हुए अवगत कराया गया कि अब तक फार्म–6 के लगभग 93 हजार आवेदन, फार्म–7 के लगभग 1.39 लाख आवेदन तथा फार्म–8 के 40 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिनके निस्तारण हेतु भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं विधिक प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

बैठक में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के प्रावधानों के अनुसार फार्म–6, 6क, 7 एवं 8 के उद्देश्य एवं उपयोगिता का विस्तार से प्रस्तुतीकरण किया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि प्राप्त दावे एवं आपत्तियों के आधार पर प्रतिदिन फार्म–9, 10, 11, 11ए एवं 11बी तैयार कर नियमानुसार प्रकाशित किये जा रहे हैं। इस प्रक्रिया की ऑनलाइन पारदर्शिता संबंधी व्यवस्था के संबंध में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन सुविधा का प्रदर्शन करते हुए बताया गया कि प्राप्त दावे एवं आपत्तियों के सापेक्ष तैयार किये गये फार्म–9, 10, 11, 11ए एवं 11बी का प्रतिदिन ऑनलाइन अवलोकन किया जा सकता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य दावे एवं आपत्तियों की प्रक्रिया को पूर्णतः पारदर्शी बनाना तथा राजनैतिक दलों की सतत सहभागिता सुनिश्चित करना है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि प्रत्येक दावा एवं आपत्ति का निस्तारण निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 एवं Manual of Electoral Rolls में वर्णित प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है।

बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि फार्म–6 में किसी प्रकार की कमी/आपत्ति होने पर फार्म–12 के माध्यम से नोटिस जारी किया जाता है। फार्म–7 के मामलों में आपत्तिकर्ता को फार्म–13 तथा जिस मतदाता के विरुद्ध आपत्ति की गयी है, उसे फार्म–14 के माध्यम से नोटिस जारी कर दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार फार्म–8 के मामलों में आवश्यकतानुसार फार्म–15 के माध्यम से नोटिस जारी किया जाता है।

सभी नोटिस ERO Net के माध्यम से स्वतः तैयार होते हैं तथा बीएलओ के माध्यम से तामील कराये जाते हैं तथा सुनवाई हेतु न्यूनतम एक सप्ताह का अवसर प्रदान किया जाता है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा आयोग के निर्देशों के अनुरूप अपनायी जा रही पर्यवेक्षण एवं सत्यापन व्यवस्था से सभी प्रतिनिधियों को विस्तार से अवगत कराया गया तथा निम्न निर्देशों का उल्लेख किया गया–

- ✓ BLO सुपरवाइजर द्वारा अधीनस्थ प्रत्येक BLO के कार्य का न्यूनतम 5 प्रतिशत सत्यापन किया जायेगा।
- ✓ जिन मतदान केन्द्रों में अपमार्जन की संख्या 2 प्रतिशत से अधिक होगी, वहाँ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) द्वारा व्यक्तिगत क्रॉस सत्यापन किया जायेगा।
- ✓ यदि किसी व्यक्ति द्वारा 5 से अधिक फार्म–7 के माध्यम से आपत्तियाँ प्रस्तुत की जाती हैं, तो ऐसे प्रत्येक मामले में ERO स्वयं व्यक्तिगत स्तर पर विधिवत जाँच एवं क्रॉस सत्यापन करेंगे, जिसके उपरान्त ही नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) द्वारा नाम परिर्वद्वन एवं अपमार्जन के कम से कम 1 प्रतिशत मामलों का पृथक फील्ड सत्यापन किया जायेगा।
- ✓ 10 से अधिक मतदाताओं वाले परिवारों, असामान्य लिंगानुपात वाले मतदान केन्द्रों तथा सर्वाधिक नाम जोड़ने एवं हटाने वाले मतदान केन्द्रों का भी पृथक सत्यापन किया जायेगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा स्पष्ट किया गया कि आयोग के निर्देशानुसार सामान्य परिस्थितियों में किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा प्रस्तुत बल्क दावे/आपत्ति स्वीकार नहीं किये जायेंगे। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अधिकृत Booth Level Agent (BLA) को विशेष छूट प्रदान की गयी है, जिसके अन्तर्गत एक BLA एक दिन में अधिकतम 10 (सम्पूर्ण पुनरीक्षण अवधि में 30) आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। आवेदन निर्धारित घोषणा–पत्र एवं सूची के साथ प्रस्तुत किये जायेंगे। यदि कोई BLA पुनरीक्षण अवधि में नियत सीमा से अधिक दावे/आपत्ति प्रस्तुत करता है, तो ऐसे मामलों में ERO/AERO द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर विधिवत जाँच एवं क्रॉस सत्यापन किया जायेगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा विशेष रूप से निर्देशित किया गया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान किसी भी पात्र नागरिक को अनावश्यक असुविधा न हो, इसका पूर्ण ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया कि 65 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के मतदाताओं के प्रकरणों में बीएलओ उनके निवास पर जाकर आवश्यक अभिलेख प्राप्त करते हुए सुनवाई की कार्यवाही पूर्ण करायें। सामान्य विसंगति वाले मामलों में

बीएलओ स्वयं आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर नियमानुसार सत्यापन करते हुए यथासंभव अपने स्तर पर निस्तारण सुनिश्चित करें, जिससे नागरिकों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो पायी है, उनके प्रकरणों पर विशेष ध्यान देते हुए ERO/AERO स्तर पर (मतदाताओं की सुविधा हेतु मतदान केन्द्र पर) सुनवाई कर नियमानुसार समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

बैठक के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा कई स्थानों में एक ही व्यक्ति द्वारा बड़ी संख्या में फार्म–7 प्रस्तुत किये जाने के संबंध में चिंता व्यक्त करते हुए आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया। इस पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा पुनः स्पष्ट किया गया कि प्रत्येक प्राप्त दावा एवं आपत्ति का निस्तारण निर्वाचन आयोग के दिशा–निर्देशों एवं Manual of Electoral Rolls के प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा। फार्म–7 के प्रत्येक प्रकरण में आपत्तिकर्ता एवं संबंधित मतदाता, दोनों को नियमानुसार नोटिस जारी कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जायेगा। ERO/AERO स्तर पर आवश्यक सत्यापन एवं सुनवाई पूर्ण होने के पश्चात ही विधिसम्मत निर्णय लिया जायेगा। किसी भी मतदाता का नाम बिना नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण किये निर्वाचन नामावली से अपमार्जित नहीं किया जायेगा।

अन्त में मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों एवं फीडबैक के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा विश्वास व्यक्त किया गया कि उत्तराखण्ड राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण–2026 की संपूर्ण प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के निर्देशों, विधिक प्रावधानों के अनुसार पूर्ण पारदर्शिता के साथ समय पर संपादित की जाती रहेगी। बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण–2026 के आगामी चरणों के सफल एवं पारदर्शी संचालन हेतु सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से पूर्ण सहयोग का अनुरोध किया गया।

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

संख्या–1310/ XXV-25/2025 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली। को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रदेश अध्यक्ष/महासचिव/सचिव, मान्यता प्राप्त समस्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. कार्यालय प्रति।

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रगति समीक्षा के संबंध में दिनांक 05 अगस्त, 2026 को अपरान्ह 12:30 बजे से मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आहूत बैठक की उपस्थिति

क्र. सं.	पदाधिकारी का नाम	दल का नाम	मोबाईल नम्बर	ईमेल आई.डी.	उपस्थिति / हस्ताक्षर
1	राजकुमार पुरोहित	भाजपा	9412976332		
2	Suryakant Dhasmana	INC	9412056959		
3	Amendra Bisht	कांग्रेस	8979132677		
4	सतेन्द्र चोपड़ा	ब० स० पा०	9368689368		
5	अनुज दत्त शर्मा	कांग्रेस	9897467710		
6	सत्यपाल	B.S.P	9412059284		
7	Satyendra Singh	B.S.P.	9997183410 9411101880	Satender...1959 @gmail.	
8	अनन्त आकाश	CPI(M)	9410365899		
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

ttarakhand

ttarakhand